राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 1959/2015/जोधपुर

मैसर्स डिनयो केबल्स प्रा0लि0,
जी–324, III[rd] फेज, बोरानाड़ा, जोधपुर। .....अपीलार्थी

बनाम्

राज्य स्तरीय छानबीन समिति, उद्योग भवन,
तिलक मार्ग, जयपुर। .....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

व्यवसाई की लिखित बहस .....अपीलार्थी की ओर से
श्री डी.पी.ओझा, उप–राजकीय अधिवक्ता .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 09.06.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील राज्य स्तरीय छानबीन समिति, जयपुर (जिसे आगे **"समिति"** कहा जायेगा) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.09.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उन्होंने समिति की बैठक दिनांक 25.08.2015 में व्यवहारी की अपील अवधिपार होने की सूचना दी एवं अपील को स्वीकार योग्य नहीं माना।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी इकाई द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2010 (जिसे आगे **"योजना"** कहा जायेगा) योजनान्तर्गत दि. 20.09.2013 को जिला उद्योग केन्द्र, जोधपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। इकाई के विनियोजन प्रमाण पत्र के अनुसार उसके द्वारा 277.52 लाख का विनियोजन किया गया। दिनांक 03.07.2013 को प्रथम विक्रय बिल के अनुसार उत्पादित माल का विक्रय प्रारम्भ किया गया, रीको बोरानाडा के पत्र दिनांक 03.11.2014 के अनुसार उक्त भूखण्ड इकाई को अन्य इकाई से दिनांक 10.07.2012 को हस्तान्तरित किया गया। डीएलएससी, जोधपुर ने अपनी बैठक दिनांक 07.11.2014 में निर्णय लिया कि उक्त उद्यम योजना की नकारात्मक सूची के अंतर्गत आता है, अतः इकाई के आवेदन को निरस्त किया गया। डीएलएससी के उक्त निरस्तीकरण आदेश के विरूद्ध इकाई द्वारा अपील एसएलएससी, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत करने पर एसएलएससी ने अपनी बैठक दिनांक 25.08.2015 में निर्णय पारित किया कि "योजना के प्रावधान सं. 12 के अनुसार अपील सूचना तिथि से 90 दिवस के अन्दर प्रस्तुत की जानी चाहिए। समिति ने तथ्यों का विश्लेषण करने के उपरान्त यह पाया कि इकाई द्वारा अपील 90 दिवस के अन्दर प्रस्तुत नहीं की है, अतः समिति ने योजना के प्रावधान संख्या 12 के क्रम में अपील को स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने का निर्णय लिया।" एसएलएससी के उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलार्थी इकाई की लिखित बहस प्राप्त एवं राजस्व पक्ष की बहस सुनी गई।

4 इकाई ने जरिये लिखित बहस निवेदन किया कि उनके द्वारा सम्पूर्ण प्रोजेक्ट स्थापित किया गया एवं समयावधि में निर्माण प्रक्रिया भी संचालित की गई। उनके द्वारा भवन निर्माण, प्लान्ट एवं मशीनरी एवं अन्य संसाधन स्थापित किये गये जिन पर डीएलएससी, जोधपुर ने अपनी बैठक दिनांक 27.11.2014 में विचार नहीं किया है एवं बिना किसी आधार के तथा बिना इकाई को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया है। एसएलएससी ने भी अपने बैठक दि. 25.08.2015 में इकाई को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया एवं योजना के प्रावधान संख्या 12 के तहत केवल इस बात पर अपील अस्वीकार की, कि उनके द्वारा 90 दिवस के

लगातार.....2

भीतर अपील प्रस्तुत नहीं की गई है। एसएलएससी को चाहिये था कि वे इकाई को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते, लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत देरी माफी के प्रावाधानों को मध्यनजर रखते हुए एवं प्रकरण के गुणावगुणों पर विस्तृत निर्णय पारित करते। अतः उन्होनें डीएलएससी, जोधपुर एवं एसएलएससी, जयपुर द्वारा पारित आदेशों को अपास्त करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुणों पर करने का निवेदन किया।

5. राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि इकाई को आवंटित भूखण्ड पर जुलाई 2007 में मैसर्स यूनियन बिल्डर्स द्वारा उत्पादन किया गया था, जिससे योजना की नकारात्मक सूची के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार उक्त भूखण्ड पर मैसर्स यूनियन बिल्डर्स उत्पादनरत थी। उत्पादनरत इकाई का हस्तानान्तरण 13.04.2012 को मैसर्स कसा क्राफटस से मैसर्स डियनों केबल्स प्रा0लि0 को हुआ, जिससे डीएलएससी ने उद्यम योजना की नाकारात्मक सूची के अंतर्गत माना एवं समयावधि में अपील प्रस्तुत नहीं करने पर एसएलएससी ने योजना के प्रावधान संख्या 12 के तहत अपील अस्वीकार की है। अतः उन्होंने प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. राजस्व पक्ष की बहस पर एवं इकाई की लिखित बहस पर मनन किया गया। रिकॉर्ड एवं प्रस्तुत न्यायिक व्यवस्थाओं का परिशीलन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में डीएलएससी, जोधपुर ने अपना निर्णय दिनांक 07.11.2014 अपीलार्थी इकाई को जरिये अपने पत्रांक 3618 दिनांक 27.11.2014 को प्रेषित किया है एवं उक्त आदेश इकाई द्वारा दिनांक 27.11.2014 को प्राप्त किया जाना बतलाया गया है तथा उसके विरूद्ध इकाई ने एसएलएससी, जयपुर के समक्ष अपील दिनांक 04.03.2015 को प्रस्तुत कर दी है। ऐसी स्थिति में मात्र 7 दिवस देरी क्षमायोग्य है। प्रोत्साहन योजनाऐं राज्य में विनिवेश एवं रोजगार के अवसर उत्पन्न करने हेतु लायी जाती हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत विनिवेश व रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के यथार्थ निहित होते है। अतः सामान्यतः समितियां अपने अर्न्तनिहित शक्तियों का उपयोग करते हुए अतिन्यून विलम्ब को क्षमा करती रही हैं, तथापि इकाई को अपना पक्ष प्रस्तुत करने बाबत बिना कोई अवसर दिये ही उक्त निर्णय पारित किया गया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत प्रतीत होता है। समिति ने इकाई को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपना निर्णय पारित किया है एवं निर्णय का मुख्य आधार अपील को अवधिपार माना है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है। माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.05.2011 The management of S.E.S Baba Vs Rajkumari को मध्यनजर रखते हुए एसएलएससी जयपुर को निर्देश दिये जाते है कि वे इकाई द्वारा प्रस्तुत अपील की अल्प अवधि देरी को क्षमा करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुणों पर करें एवं अपीलार्थी इकाई को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करे।

9. परिणामतः, अपीलार्थी इकाई द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा डीएलएससी, जोधपुर एवं समिति, जयपुर द्वारा पारित आदेशों को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण राज्य स्तरीय छानबीन समिति, उद्योग भवन, जयपुर को प्रतिप्रेषित किया जाता है। अपीलार्थी इकाई को निर्देश दिये जाते है कि वे समस्त दस्तावेजों के साथ दिनांक 04.07.2017 को अथवा समिति द्वारा निर्धारित तिथि को उनके समक्ष उपस्थित हो।

निर्णय सुनाया गया।

9.6.2017
(नत्थूराम)
सदस्य

9.6.2017
(मदन लाल)
सदस्य